

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ10(9)ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य।अधि./2010

जयपुर, दिनांक:

15 OCT 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़।

विषय :- सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक जि.प./ग्रा.वि.प्र./ई.जी.एस./2012-13/132 दिनांक
04.10.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है, कि ऐसे सहायक कार्यक्रम अधिकारी जिन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के RS-CIT के कम्प्यूटर कोर्स से उच्च स्तर की कम्प्यूटर योग्यता पहले से ही अर्जित कर रखी है तो उन्हें RS-CIT के कोर्स की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय

(बद्री नारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
2. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को छोड़कर।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जयपुर/अजमेर

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस